

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

मि.स. 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर.खण्ड-।

दिनांक 16 जनवरी, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

विषय:- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा का साधारण निर्वाचन -ई.वी.एम का उपयोग -
तत्संबंधी ।

महोदय,


मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुपालन में जारी किये गए आयोग के दिनांक 16 जनवरी, 2015 के निदेश संख्या 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर-खण्ड-। को एतदद्वारा भेजने का निदेश हुआ है जिसमें 14.01.2015 को अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्तमान विधान सभा साधारण निर्वाचन में मत, इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से डाले और रिकार्ड किये जाएंगे । इस निदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए ।

2. मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जो मतदान मशीनों के डिजाइन, मतपत्र (बैलेटिंग) यूनिट पर मतपत्रों (बैलेट पेपर) के प्रकार तथा भाषा (भाषाएं) और निविदत्त मतपत्र (बैलेट पेपर) की डिजाइन और भाषा तथा मतदान के पश्चात् मतदान मशीनों को मुहरबन्द करने के तरीकों के बारे में है । इस संदर्भ में संबंधित अनुदेश आयोग के पत्र सं० 576/3/2013/एसडीआर दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 द्वारा संशोधित रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका, 2014 'पोस्टल बैलेट पेपर एवं वोटिंग मशीनों के लिए बैलेट' के अध्याय-XI में निहित हैं, का अनुसरण किया जाए ।

3. उक्त वर्णित अनुदेशों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की सूचना और अनुपालन के लिए ध्यान में लाया जाए ।

4. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 55ग से 57ग तथा 60 से 66क के उपबंधों की ओर दिलाया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका, 2014 (जहां पर इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाता है) के अध्याय XV में निहित मतों की गिनती से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है । रिटर्निंग ऑफिसरों को उक्त निदेशों तथा अनुदेशों का निष्ठा से अनुपालन करने का निदेश दिया जाना चाहिए ।

5. कृपया पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के शासकीय राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 16 जनवरी, 2015

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2015/एस.डी.आर-खण्ड-। :- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क में यह उपबध्दित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें ; और

2. यतः आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सभी 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और इस बात से संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है । मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यपणाली से पूर्णतया परिचित है तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन के साथ पूरी तरह परिचित हैं ।

3. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 14-01-2015 को अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्तमान विधान सभा साधारण निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

आदेश से

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)

सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110 001

No. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol.I

Dated: 16th January, 2015

To,

The Chief Electoral Officer of
NCT of Delhi.

Subject: General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2015-use of
EVMs-regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith the Commission's Direction bearing No. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol.I dated 16th January, 2015, issued in pursuance of Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, specifying all the 70 Assembly Constituencies of NCT of Delhi as the Constituencies where votes at the current General election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, notified on 14-1-2015(Wednesday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines. The Direction may be published in the Official Gazette of the NCT of Delhi immediately and two copies of the Gazette may be forwarded to the Commission for its information and record.

2. I am further directed to invite your attention to the rules 49A, 49B, 49P and 49T(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, relating to the designs of voting machines, form and language(s) of the ballot paper on the balloting unit, design and language of tendered ballot paper and the manner of sealing of voting machines after the poll. The related instruction in this regard contained in Chapter-XI, 'Postal Ballot Papers and Ballot Papers for Voting Machines', of Returning Officers' Handbook, 2014 edition as amended vide the Commission's letter No. 576/3/2013/SDR dated 11th October, 2013 may be followed.


3. The above mentioned instruction may be brought to the notice of the Returning Officers of the Constituencies concerned for their information and compliance.

4. As regards counting of votes, your attention is invited to the provisions of rules 50 to 54A, 60 to 66A and 55C to 57C of the Conduct of Elections Rules, 1961, and also the Commission's detailed directions and instructions relating to counting of votes as contained in Chapter XV of the Returning Officers' Handbook, 2014 (where EVMs are used). The

Returning Officers should be instructed to follow the said directions and instructions scrupulously.

5. Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,



(N.T. Bhutia)
Under Secretary.

Copy to:- EM Section, North Section.II

